



प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित नकली शराब तस्कर गिरोह के 02 अभियुक्त

गिरफ्तार

दिनांक 27.05.22

पुलिस उपमहानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक श्री आर. पी. सिंह द्वारा जनपद सीतापुर में अपराध को अपनी आय का स्रोत बना लेने वाले अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

इस क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी श्री एन.पी. सिंह के निकट पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी महमूदाबाद के नेतृत्व में थाना महमूदाबाद पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 219/22 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों 1.शैलेन्द्र कुमार पुत्र गजराज प्रसाद निवासी रामपुर निजामपुर थाना खैराबाद जनपद सीतापुर 2.वीरेन्द्र कुमार उर्फ कल्लू पुत्र देवीदीन निवासी काजीपुर नं0 1 फतेहपुर थाना फतेहपुर जनपद बाराबंकी को महमूदाबाद रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जिनमें गिरफ्तार अभियुक्त शैलेन्द्र उपरोक्त के पास से 01 अदद तमंचा व कारतूस 12 बोर भी बरामद हुआ है। अभियुक्तगण उपरोक्त शातिर एवं अभ्यस्त किस्म के अपराधी है, जो आर्थिक एवम् भौतिक लाभ हेतु अवैध तरीके से शराब में मिलावट/नकली शराब/परिवहन/बिक्री/नकली टैग प्रयोग जैसे अपराध कारित करते है तथा जिनके विरुद्ध सम्बन्धित धाराओं में पूर्व में भी अभियोग पंजीकृत हैं। **अभियुक्तों द्वारा अपराध से अर्जित संपत्ति का पता लगाकर जब्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।** बरामदगी के संबंध में आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है। जनपद में अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही निरन्तर इसी प्रकार प्रचलित रहेगी।

अभियुक्तगण का नाम/पता-

1. शैलेन्द्र कुमार पुत्र गजराज प्रसाद निवासी रामपुर निजामपुर थाना खैराबाद जनपद सीतापुर
2. वीरेन्द्र कुमार उर्फ कल्लू पुत्र देवीदीन निवासी काजीपुर नं0 1 फतेहपुर थाना फतेहपुर जनपद बाराबंकी

पंजीकृत अभियोग-मु0अ0सं0 222/22 धारा 25(1-बी) आर्म्स एक्ट थाना महमूदाबाद सीतापुर

बरामदगी-01 अदद तमंचा व कारतूस 12 बोर

पुलिस टीम -

1. प्रभारी निरीक्षक श्री विजयेन्द्र सिंह
2. उ0नि0 श्री सुरेश पाल सिंह
3. का0 पिकू कुमार
4. का0 विनोद पाल
5. का0 कुलवेन्द्र

आपराधिक इतिहास अभियुक्तगण

1. मु0अ0सं0 219/22 धारा 2/3 यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना महमूदाबाद सीतापुर
2. मु0अ0सं0 385/21 धारा 255/272/273/420/467/468/471 भादवि व 60क/63/72 आबकारी अधिनियम व 61/63 कॉपीराइट एक्ट थाना महमूदाबाद सीतापुर

